IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 08 of 2025
(I.A. Nos. 263/2025, 262/2025 & 75/2025)

IN THE MATTER OF:

VIPIN KUMAR SAXENA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF, THE DISTRICT MAGISTRATE, JHANSI IN COMPLIANCE TO THE ORDER DT. 15-05-2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.	4-14
2.	**ANNEXURE-1.** A copy of the Order dated 22.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 440/2023 (*Navin Kumar v. State of U.P. & Ors.*)	15-21
3.	**ANNEXURE-2.** A copy of the Show-Cause Notice No. 535/30MMC/2024-25 dated 17.08.2024 issued under Rule 61(1) of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021.	22-23
4.	**ANNEXURE-3.**	

	A copy of the Letter No. 544/JVAS-1200/24 dated 12.11.2024 issued by the Regional Officer, UPPCB, Jhansi, along with enclosed UPPCB Order No. H-18455/C-2/Air-557/24 dated 10.10.2024	24-26
5.	**ANNEXURE-4.** A copy of the Letter No. 72/PARYA/SEIAA/5860/5578/2020 dated 21.11.2024 issued by the Environment Directorate, Lucknow, keeping the Environmental Clearance in abeyance,	27
6.	**ANNEXURE-5.** A copy of the Office Order No. 838/30MMC/2023-24 dated 22.11.2024 directing compliance with the above directions.	28-29
7.	**ANNEXURE-6.** A copy of the FIR registered against Shri Vipin Kumar Saxena at Police Station Kakarbai dated 05.12.2024	30-35
8.	**ANNEXURE-7.** A copy of the Mining Lease Cancellation Order No. 960/30MMC/2023-24 dated 12.12.2024 issued under Rule 61(2) of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021	36-39
9.	**ANNEXURE-8.** A copy of the Letter No. W&AT-87/PARYA/SEAC/5860-5578/2018 dated 22.12.2024 issued by SEIAA, Uttar Pradesh, revoking the Environmental Clearance.	40
10.	**ANNEXURE-9.**	

	A copy of the Government Order No. 1875(1)/86-2017 dated 14.08.2017 prescribing the procedure for e-auction of mining leases.	41-49
11.	**ANNEXURE-10.** A copy of the Advertisement for fresh grant of lease bearing Office Letter No. 43/30MMC/“Advertisement-Sand/Moram”/2025-26 dated 17.04.2025	50-59
12.	**ANNEXURE-11.** Copy of the Authorisation vide letter no. 114/30MMC/2025-26 dated 15.05.2025.	60

THROUGH

Date: 14.05.2025

Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

Standing Counsel for STATE, Uttar Pradesh

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 08 of 2025
(I.A. Nos. 263/2025, 262/2025 & 75/2025)

IN THE MATTER OF:

VIPIN KUMAR SAXENA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT

REPLY ON BEHALF OF, THE DISTRICT MAGISTRATE, JHANSI IN COMPLIANCE TO THE ORDER DT. 15-05-2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Hon'ble National Green Tribunal has passed an Order dated 08.04.2025 in the matter of Original Application No. 8/2025 Vipin Kumar Saxena Versus State Of Uttar Pradesh & Ors.. The Executive part of the order is as follows-

> *"…1. Learned Counsel appearing for SEIAA, UP and District Magistrate, Jhansi seeks a day's time to place on record the relevant documents concerning the cancellation of EC, lease and decision of SEIAA on the representation for restoration of EC.*

2. List on 19.05.2025…"

2. That, at the very outset, it is **respectfully** submitted that the present Original Application, registered as O.A. No. 08/2025 and filed by *Shri Vipin Kumar Saxena* (hereinafter "the Applicant"), seeks—*inter alia*—quashing of (i) the order revoking his Environmental Clearance ("EC") dated 18-11-2022, (ii) Mining Lease Cancellation Order No. 960/30MMC/2023-24 dated 12-12-2024, and (iii) the re-advertisement of the mining block situate in Village Dhamnaur, Tehsil Garotha, District Jhansi.

3. That the Application rests upon assertions that are, with respect, factually incorrect, legally misconceived and misleading; it is devoid of merit, barred by law and consequently liable to be dismissed *in limine*.

4. That the Hon'ble National Green Tribunal ("NGT") derives its original jurisdiction from Sections 14 and 15 read with Section 20 of the NGT Act, 2010, and these provisions impose no restriction on the Tribunal's authority to set aside even a Government notification whenever the *lis* involves a substantial question relating to the environment arising from the implementation of a Schedule I enactment.

5. That Section 14 of the NGT Act, 2010, allows an application to be filed only where the dispute (i) genuinely raises a substantial environmental question and (ii) is linked to a Schedule I statute **or enforcement of any legal right relating to environment is involved**; once both limbs are satisfied, there is no statutory fetter on the Tribunal's power to quash an impugned notification.

6. That a party found in continuing breach of environmental norms is not entitled to equitable indulgence, and the Applicant—having been adjudged non-compliant on multiple occasions—cannot seek relief in equity from this Hon'ble Tribunal.

BRIEF FACTS OF THE CASE

7. That in Village Dhamnaur, Tehsil Garotha, District Jhansi, *Gata No.–1419* of *Khand No.–01* comprises **24.0 hectares of vacant sand/morrum area** on the bed of the Dhasan River; in compliance with Government Order No. 1875(1)/86-2017 dated 14-08-2017, the area was advertised on 26-11-2019 through an e-tender-cum-e-auction system; **Shri Vipin Kumar Saxena S/o Shri Om Prakash Saxena, resident of HIG-A/135, Aashiyana First, Tehsil and District Moradabad,** offered the highest bid of ₹ 352.00 per m^3, whereupon a

conditional Letter of Intent ("LOI") was issued in his favour on 28-01-2020; the mining plan was approved on 26-02-2020; EC dated 18-11-2022 was obtained from SEIAA, Uttar Pradesh (Lucknow) and filed in the office; thereafter a five-year mining lease (11-01-2023 to 10-01-2028) was executed in his favour.

8. That, acting on complaints of violations, the Hon'ble Tribunal in O.A. 440/2023 (*Navin Kumar v. State of U.P. & Ors.*) passed an order dated 22-05-2024 which states: "In order to ascertain the extent of illegal mining in violation of the EC conditions by Respondent No.-11, we form a Joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, CPCB, not below the rank of Senior Scientist, and RO, MoEF&CC, Lucknow who will act as a coordinating agency. The Committee will visit the site within a period of two weeks and will collect full information in respect of the extent of mining which has been done by Respondent No.-11 and the compliance / non-compliance of 'general' and 'specific' conditions of EC by Respondent No.-11 which have been noted above and will submit the report before the Tribunal." **A copy of the Order dated 22-05-2024 is herewith annexed as ANNEXURE-1.**

9. That in compliance with the aforesaid order, the Joint Committee inspected the lease area and filed its report on 16-08-2024; the report records **only partial compliance** with *General Condition Nos. 19, 20, 30, 41, 45* and *Specific*

Condition Nos. 08, 12, 17, 23, 29, 38, 44, 53, 61, 62, 63, 66, **and no compliance** with *General Condition Nos. 07, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47, 48* **and** *Specific Condition Nos. 03, 07, 09, 13, 15, 20, 27, 32, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 60, 67, 68, 70, 71, 75.*

10. That, pursuant to the said report, Show-Cause Notice No. 535/30MMC/2024-25 dated 17-08-2024 was issued to the Applicant under Rule 61(1) of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules 2021, calling upon him to explain "why cancellation should not be done against the sanctioned mining lease for failure to comply with the General and Specific EC conditions and, thereby, the lease-deed clauses." **A copy of the Show-Cause Notice No. 535/30MMC/2024-25 dated 17-08-2024 is herewith annexed as ANNEXURE-2.**

11. That the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board ("UPPCB"), Jhansi, vide Letter No. 544/JVAS-1200/24 dated 12-11-2024, forwarded UPPCB Lucknow Order No. H-18455/C-2/Air-557/24 dated 10-10-2024, containing the following directions:

    I. *The Consent to Operate granted to M/s Vipin Kumar Saxena, Khand, Gata No.–4-kh, Tehsil Garotha, District Jhansi, vide order dated 05-03-2023 is revoked.*

II. *M/s Vipin Kumar Saxena, Khand-07, Gata No.–4-kh, Tehsil Garotha, District Jhansi, shall immediately cease all mining/production operations.*

III. *Competent authorities shall disconnect all power supply and shut all utilities to the industrial unit forthwith.*

A copy of Letter No. 544/JVAS-1200/24 dated 12-11-2024 together with UPPCB Order No. H-18455/C-2/Air-557/24 dated 10-10-2024 is herewith annexed as ANNEXURE-3.

12. That the Environment Directorate, Lucknow, by Letter No. 72/PARYA/SEIAA/5860/5578/2020 dated 21-11-2024, stated: "A show-cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA/5860-5578/2019 dated 27-06-2024 but it was received back; hence the show-cause notice was e-mailed to the address given in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence, SEIAA opined to keep the EC issued vide letter No. EC22B001UP110182 dated 18-11-2022 in abeyance in light of the Joint Committee report filed on 08-08-2024. Accordingly, **EC No. EC22B001UP110182 dated 18-11-2022 is kept in abeyance.**" **A copy is annexed as ANNEXURE-4.**

13. That Office Order No. 838/30MMC/2023-24 dated 22-11-2024 was consequently passed, directing compliance with UPPCB Order No. H-18455/C-2/Air-557/24 dated 10-10-2024 and the aforesaid Environmental Directorate, Lucknow letter. **A copy is annexed as ANNEXURE-5.**

14. That, despite the said order, on 05-12-2024 the lessee, without permission, illegally mined and transported **5,140 m^3** of sand/moram from the lease area, whereupon an FIR was lodged against **Shri Vipin Kumar Saxena** at Police Station Kakarbai. **A copy of the FIR dated 05-12-2024 is annexed as ANNEXURE-6.**

15. That, for non-submission of a reply to the notice dated 17-08-2024, breach of Office Order dated 22-11-2024, and illegal extraction on 05-12-2024, **Mining Lease Cancellation Order No. 960/30MMC/2023-24 dated 12-12-2024** was issued, cancelling the lease, declaring the area vacant and blacklisting Shri Vipin Kumar Saxena for two years under Rule 61(2) of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules 2021; the order was served on his authorised representative, Shri Hari Shankar Rajput, on 13-12-2024. **A copy of the cancellation order is annexed as ANNEXURE-7.**

16. That SEIAA, Uttar Pradesh, in continuation, **revoked the EC dated 18-11-2022** issued to the Applicant by Letter No. W&AT-87/PARYA/SEAC/5860-5578/2018 dated 22-12-2024. **A copy is annexed as ANNEXURE-8.**

17. That, the area having fallen vacant, and in compliance with Rule 23 of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules 2021 and Government Order No. 1875(1)/86-2017 dated 14-08-2017, the same mining block was **re-advertised for fresh grant** through Office Letter No. 43/30MMC/"Advertisement-Sand/Moram"/2025-26 dated 17-04-2025. **A copy of the Government Order is annexed as ANNEXURE-9, together with the fresh advertisement annexed as ANNEXURE-10.**

18. That the undersigned has been duly **authorised** by the District Magistrate, Jhansi, vide Letter No. 114/30MMC/2025-26 dated 15-05-2025 to submit this reply. **A copy is annexed as ANNEXURE-11.**

19. That the foregoing chronological facts conclusively establish a consistent pattern of deliberate non-compliance, repeated illegality and disregard for environmental safeguards by the Applicant; all regulatory actions—revocation of Consent, suspension and later withdrawal of EC, cancellation of lease, lodging of FIR and re-advertisement—are lawful, proportionate and essential to

protect the environment, and the Applicant is disentitled to any relief either in equity or on merit before this Hon'ble Tribunal.

THROUGH

Date: 14.05.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
Standing Counsel for STATE, Uttar Pradesh
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 08 of 2025
(I.A. Nos. 263/2025, 262/2025 & 75/2025)

IN THE MATTER OF:

VIPIN KUMAR SAXENA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT

AFFIDAVIT

I, **Bhupendra Yadav,** aged about 31years S/o Sh. Chandrama Yadav is presently posted as **Senior Mines Officer, Jhansi, Uttar Pradesh** having an office at **Jhansi**. Presently at New Delhi.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Reply has been drafted by our counsel upon my instructions.

NOTARY
RENU AGARWAL
Delhi
Regd. No. 17806
GOVT. OF INDIA

3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

D/6004/2022
I identified the deponant who has signed in my presence

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17806

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation New Delhi on this 16 day of MAY 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

ATTESTED
NOTARY PUBLIC (INDIA)

DEPONENT

16 MAY 2025

ANNEXURE 1

Item No. 13 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 440/2023

Naveen Kumar Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 22.05.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Akash Vashishtha, Adv.

Respondent: Ms. Priyanka Swami, Mr. Shivam Singh & Ms. Shivani Pandey, Advs. for SEIAA, UP
Mr. Ankit Verma, Adv. for the State of UP
Mr. Gigi. C. George & Mr. Ishwer Singh, Advs. for NMCG
Mr. Saurabh Balwani, Adv. for CPCB (Through VC)
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv. for R - 1 & 10 (Through VC)
Mr. Gaurav Kumar Bansal, Adv. for R - 11 (Through VC)
Mr. Sarang S. Chowdhry, Adv. for MoEF (Through VC)

ORDER

1. In this original application, Applicant has raised the grievance that Respondent No. 11 is undertaking sand mining in river Dhasan, a tributary of river Yamuna, at Gata No. 1419, Kha Khand No. 01 in Village Dhamnaud, Tehsil Garautha, District Jhansi, Uttar Pradesh in violation of the Environmental Clearance (EC) conditions as also in violation of the environmental norms prescribed in Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and EMGSM, 2020.

2. The Tribunal on 18.03.2024 had issued notice in the matter.

3. The respondents, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Central Pollution Control Board (CPCB), National

Mission for Clean Ganga (NMCG), State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), UP and District Magistrate, Jhansi have filed their response.

4. Learned Counsel appearing for the Applicant as referred to the following 'General' and 'Specific' conditions of EC dated 18.11.2022 (at page 81) and has submitted that these conditions are violated by the Respondent No. 11 :

> "**General condition:**
>
> *xxx ....xxx.................................xxx*
>
> 5. *Mining and loading shall be done only within day hours' time.*
>
> *xxx ....xxx.................................xxx*
>
> 7. *It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.*
>
> *xxx ....xxx.................................xxx*
>
> 12. *It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed / basin, where mining is carried out.*
>
> 13. *It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.*
>
> *xxx ....xxx.................................xxx*
>
> 15. *Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.*
>
> *xxx ....xxx.................................xxx*
>
> 45. *The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).*
>
> **Specific condition:**

2. In the absence of replenishment study, in compliance of Hon'ble NGT Order dated 06.05.2022 Initially the EC will be operational till 31.12.2022. Permissible quantity and area shall be strictly limited to quantity and area mentioned in LoI or mining plan, whichever is lesser, and maximum mineable depth will be limited to as approved in the mining plan.

3. For subsequent years, Project Proponent shall submit fresh annual replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such study shall be placed before SEAC for appraisal for next three years to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC. The placing of the study report SEAC is mandatory for Initial three years.

xxx ....xxx................................xxx

6. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.

xxx ....xxx................................xxx

8. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. In this case, PP should prepare a plan, duly approved either by Forest Department or Horticulture Department, for planting at least 24,000 plants, either on government land or community land, within a periphery of 5 km from the boundary of the lease area along with provision for maintenance for 5 years. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition.

9. In consultation with District Environment Authority or an Authority nominated by concerned DM, project proponent will prepared a conservation and management plan for rejuvenation and management of water bodies having total surface area of more than 120 ha. Funds for the same will be kept in a separate bank account and six monthly compliance status will be presented by project proponent before the nominated authority in the District.

xxx ....xxx................................xxx

22. Latest technology (water sprinklers/ tankers) to be adopted for mitigating dust at source points in lease area and haulage road during operational activity/vehicular movement.

23. As per the proposed plan, plantation with area specific plant species, number of plants to be planted.

xxx ....xxx................................xxx

29. *Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index. Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.*

xxx ....xxx.....................................xxx

34. *One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level. Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.*

xxx ....xxx.....................................xxx

42. *Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 - 2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.*

xxx ....xxx.....................................xxx

47. *The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.*

xxx ....xxx.....................................xxx

52. *To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.*

xxx ....xxx.....................................xxx

55. *The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to order of Hon'ble NGT/Hon'ble Courts (s)). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be Involved at any stage.*

xxx ....xxx.....................................xxx

57. *The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.*

xxx ....xxx.....................................xxx

61. *The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water If any shall also be monitored [(TDS, DO, p1-1, Fecal Conform and Total Suspended Solids (TSS)).*

xxx ....xxx.....................................xxx

> 65. *Four ambient air quality-monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board."*

5. In the OA, Applicant had taken the specific plea in paragraph 6 onwards relating to non-compliance of these conditions.

6. The respondent - SEIAA, UP has filed the reply dated 20.05.2024 but there is no response to the specific plea of the Applicant in respect of non-compliance of the EC conditions.

7. It is not in dispute before us that if the EC conditions are not complied with, then the SEIAA, UP is required to cancel the EC. SEIAA, UP has filed an evasive reply before the Tribunal by not responding to the main issue involved in the OA. Hence, we impose the cost of Rs. 10,000/- upon SEIAA, UP for filing such a response. The said cost be deposited with the Registrar General of the Tribunal within two weeks.

8. The response of the District Magistrate, Jhansi has been filed along with the covering letter dated 21.05.2024 sent by the Additional District Magistrate (Judicial) enclosing therewith some instructions. We do not find any response under the signature of the District Magistrate, Jhansi covering the issues which are specifically raised in the OA. The first enclosure to the so-called response by the District Magistrate, Jhansi is some report which is under the signature of five officers and in the heading, it is stated to be some instructions for filing the response. For such an improper response before the Tribunal, we impose cost of Rs. 10,000/- upon the District Magistrate, Jhansi which is to be deposited before the Registrar General of the Tribunal within two weeks.

9. The authorities are expected to fairly file their response disclosing the correct position about the issue involved in the OA instead of attempting to conceal the same.

10. The respondents - SEIAA, UP and District Magistrate, Jhansi are granted further four weeks' time to file a fresh proper response, subject to deposit of cost as mentioned above.

11. We also find that Respondent No. 4 - UPPCB is required to monitor and ensure compliance of norms by the Respondent No. 11. Though the Respondent No. 4 is duly served, yet not represented in the matter and no response on behalf of Respondent No. 4, Member Secretary, UPPCB has been filed. Hence, we have no option but to direct personal appearance of the Member Secretary, UPPCB by virtual mode on the next date of hearing.

12. At this stage, it would be proper to take note of certain photographs which have been enclosed by the Applicant as Annexure - A/2 along with the OA showing that the instream sand mining is going on by using poclain machine which is not permissible. The respondents, especially the SEIAA, UP and District Magistrate, Jhansi have not doubted the correctness of these photographs in their response.

13. We also take note of the fact that Respondent No. 2 - MoEF&CC has filed a response and the submission of Counsel for Respondent No. 2 is that the MoEF&C has no role in the issue involved in this matter.

14. In order to ascertain the extent of illegal mining in violation of the EC conditions by Respondent No. 11, we form a Joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, CPCB, not below the rank of Senior Scientist, and RO, MoEF&CC, Lucknow who will act as

a coordinating agency. The Committee will visit the site within a period of two weeks and will collect full information in respect of the extent of mining which has been done by Respondent No. 11 and the compliance/ non-compliance of 'general' and 'specific' conditions of EC by Respondent No. 11 which have been noted above and will submit the report before the Tribunal within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

15. It will also be open to Respondent No. 11 to file the response at least one week before the next date of hearing.

16. Meanwhile, respondents - SEIAA, UP and DM, Jhansi will ensure that no illegal mining is done by Respondent No. 11.

17. List on 16.08.2024.

18. A copy of this order be forwarded to Member Secretary, CPCB and MoEF&CC by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

May 22, 2024
Original Application No. 440/2023
DV

ANNEXURE 2

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः– 535 / 30एम0एम0सी0 / 2024–25 दिनांकः 17/08/2024

नोटिस

श्री विपिन कुमार सक्सेना
पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना
निवासी–एच0आई0जी0–ए / 135,
आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद।

जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के गाटा संख्या–1419 ख के खण्ड संख्या–1 में स्थित 24.0 हे0 पर उपखनिज बालू / मोरम के रिक्त क्षेत्र को 05 वर्ष हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु पत्र संख्या–1270 / 30एम0एम0सी0 / विज्ञप्ति–बालू / मोरम / 2019–20 दिनांकः 26.11.2019 के माध्यम से विज्ञापन किया गया। जिसमें आपको सर्वोच्च बोलीदाता घोषित करते हुए पत्र संख्या–1557 / 30एम0एम0सी0 / 2019–20 दिनांकः 28.01.2020 को आशय–पत्र निर्गत किया गया। जिसमें आप द्वारा दिनांकः 18.11.2022 को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त आपके पक्ष में दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक (05 वर्षीय) की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादन किया गया।

उपरोक्त निष्पादित खनन पट्टे में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र की शर्तों का पालन न करने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 440 / 2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जिसमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र की शर्तों के अनुपालन की जांच किये जाने हेतु आदेश दिनांकः 22.05.2024 पारित किया गया। जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"14- In order to ascertain the extent of illegal mining in violation of the EC conditions by Respondent No. 11, we form a Joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, CPCB, not below the rank of Senior Scientist, and RO, MoEF&CC, Lucknow who will act as a coordinating agency. The Committee will visit the site within a period of two weeks and will collect full information in respect of the extent of mining which has been done by Respondent No. 11 and the compliance/ non-compliance of 'general' and 'specific' conditions of EC by Respondent No. 11 which have been noted above and will submit the report before the Tribunal within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे का निरीक्षण कर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या मा0 हरित अधिकरण न्यायालय के समक्ष दिनांकः 16.08.2024 को प्रस्तुत की गयी, जो मा0 हरित अधिकरण न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट (www.greentribunal.gov.in) पर भी प्रदर्शित है। उक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित किय गया है कि आप द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित General conditions की शर्त संख्या–19, 20, 30, 41 व 45 एवं Specific conditions की शर्त संख्या–08, 12, 17, 23, 29, 38, 44, 53, 61, 62, 63 व 66 का आंशिक अनुपालन ही किया गया एवं General conditions की शर्त संख्या–07, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47 व 48 एवं Specific conditions की शर्त संख्या–3, 07, 09, 13, 15, 20, 27, 32, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 60, 67, 68, 70, 71 व 75 का अनुपालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–61 में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् हैः–

(1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम–60 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2...

(2)

(2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम–59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 440/2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांकः 08.08.2024 के अनुसार आप द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किया जाना आपके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का भी उल्लंघन है।

अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र दिनांकः 18.11.2022 में उल्लिखित General conditions की शर्तों एवं Specific conditions की शर्तों का अनुपालन न किये जाने जो आपके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन होने के दृष्टिगत अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें की क्यों न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

संलग्नकः– संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांकः 08.08.2024।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0–लखनऊ।
2– सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) पर्यावरण निदेशालय,उ0प्र0–लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,झाँसी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

ANNEXURE 3

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

पत्रांक सं० ....
Ref. No. ....544/JVS-1200/24 दिनांक 12.11.2024
Date......................20

सेवा में,
जिला खान अधिकारी
झांसी।

विषय : **मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0–1, गाटा सं0–1419ख, ग्राम–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी के बंदी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय अरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 440/2024 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 440/2024 नवीन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के अनुपालन हेतुं मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड संख्या–01, गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी के बालू खनन परियोजना के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यंथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांक 10.10.2024 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक 12.11.2024 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झांसी से दूरभााष पर हुई वार्ता में प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में अच्छादित प्रश्नगत खनन परियोजना की अविलम्ब बंदी सुनिश्चित/खनिज का खनन प्रतिबन्धित करा कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, जिससे उक्त की सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित की जा सकें। माननीय एन0जी0टी0 में उक्त प्रकरण की अग्रिम सुनवाई दिनांक 25.11.2024 नियत है।

भवदीया
12.11.24
(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांक 10.10.2024 के संदर्भ में।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

356
17/10/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

(1)

संदर्भ सं0/ Ref. No. 18455 /सी-2/वायु-557/24

दिनांक / Date 10-10-24

पंजीकृत

सेवा में,
मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना,
खण्ड सं0-1, गाटा सं0-1419ख, ग्राम-धमनौद, तहसील-गरौठा,
जनपद-झांसी

यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0-1, गाटा सं0-1419ख, ग्राम-धमनौद, तहसील-गरौठा, जनपद-झांसी, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-2(के) के तहत एक कम्पनी है तथा लघु श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 440/2023 नवीन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.05.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0-1, गाटा नं0 1419ख, गांव-धमनौड, तहसील-गरौठा, जनपद-झांसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान इकाई द्वारा मेसर्स इण्ड0 रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रा0लि0, नोएडा द्वारा करायी गयी परिवेशीय वायुगुणता की अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार पी0एम0 10 प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अधिक था। खनन इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.11.2022 की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं पाया गया। जिसके अनुक्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 16319/सी-2/वायु-557/24 दिनांक 28.08.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। खनन पटटाधारक द्वारा कारण बताओ नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.11.2022 में उल्लिखित सामान्य शर्तों एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय, झांसी द्वारा खनन पटटाधारक को पत्र संख्या 535/30 एमएमसी/2024-25 दिनांक 17.08.2024 द्वारा खनन पटटा के निरस्तीकरण हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0-1, गाटा नं0 1419ख, गांव-धमनौड, तहसील-गरौठा, जनपद-झांसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है तथा खनन परियोजना स्थल पर आंशिक वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांक 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.11.2022 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित होता नही पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 28.08.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0-1, गाटा नं0 1419ख, गांव-धमनौड, तहसील-गरौठा, जनपद-झांसी को बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) आदेश दिनांक 05.03.2023 को रिवोक किया जाता है।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

Closure order

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

2. यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0–1, गाटा नं0 1419ख, गांव–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश खनिज भवन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, झांसी को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
5. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, झांसी को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
6. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Sri Vipin Kumar Saxena
S/o Sri Om Prakash Saxena
R/o- MIG –A/135, Aashiyana Pratham,
Tehsil and District Moradabad U.P.

Ref. No 72 /Parya/SEIAA/ 5860/5578 /2020 Date: 21, November, 2024

MoEFCC Proposal no- SIA/UP/MIN/56882/2020 & SEIAA, U.P File no- 5860/5578

Sub: Abeyance of Environmental Clearance for Proposed Sand/Morrum Mining from Dhasan Riverbed at Gata No. 1419 Kh Khand No.- 01, Village- Dhamnaud, Tehsil- Garautha ,District- Jhansi U.P., (Leased Area – 24.00 Ha).

Dear Sir,

SEIAA in its 851st meeting dated 07-11-2024, discussed the above matter in light of order dated 22.05.2024 and 16.08.2024 in Hon'ble NGT O.A. No. 440/2023 Naveen Kumar versus State Of Uttar Pradesh & Ors and noted that the above matter was discussed in its 819th meeting in which it was decided that:

...A show cause notice be issued to project proponent regarding non-compliance of Environmental Clearance conditions as submitted by the petitioner. Project proponent is required to clarify the following within 15 days- As to why EC issued vide letter no. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 should not be cancelled...

In the Minutes of 851st SEIAA meeting it is mentioned that:-

..."a show cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA/5860-5578/2019 dated 27/06/2024 but it was received back, hence the show cause notice was e-mailed on the address given in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence SEIAA opined to keep the EC issued vide letter No EC22B001UP110182 dated 18/11/2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary, CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08/08/2024..."

Hence as per the decision of the SEIAA EC No EC22B001UP110182 dated 18/11/2022 is kept in abeyance.

Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

This is for your information and necessary action in accordance with provision of EIA notification 2006 (as amended).

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

Copy, through email, for information and necessary action to –

1. Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email – psforest2015@gmail.com)
2. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi-Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)
3. Deputy Director General of Forests (C), Integ rated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – rocz.lko-mef@nic.in)
4. District Magistrate, Jhansi.
5. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.in)
6. Copy for Guard File.

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः–838 /30एम0एम0सी0 / 2023–24

दिनांकः 22/11 /2024

श्री विपिन कुमार सक्सेना
पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना
निवासी–एम.आई.जी.–ए / 135, आशियाना प्रथम,
तहसील व जिला–मुरादाबाद।

जनपद–झाँसी तहसील–गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के आराजी संख्या–1419ख (खण्ड–01) में 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत नियम–23(2)(क) एवं शासनादेश संख्या–1875/86– 2017–57 (सामान्य)/2017 दिनांकः 14.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत खनन पट्टा ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त खनन पट्टे में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544/जे0वी0एस0–1200/24 दिनांकः 12.11.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–440/2023 नवीन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 13.08.2024 के अनुपालन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा जनपद–झाँसी के तहसील– गरौठा स्थित ग्राम–धमनौड़ के आराजी संख्या–1419ख (खण्ड–01) में 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन परियोजना के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31–ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांकः 10.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है :–

"माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–440/2023 नवीन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 22.05.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड संख्या–01, गाटा नं0–1419ख, गांव धमनौड़, तहसील–गरौठा, जनपद–झाँसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 19.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ईकाई द्वारा मैसर्स इण्ड0 रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा0लि0, नोएडा द्वारा करायी गयी। परिवेशीय वायुगुणता की अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार पी0एम0 10 प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अधिक था। खनन इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन नहीं पाया गया जिसके अनुक्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक एच–16319/सी–2/वायु–557/24 दिनांकः 28.08.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31–ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था। खनन पट्टाधारक द्वारा कारण बताओं नोटिस का अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.224 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 27.09.2024 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है तथा खनन परियोजना स्थल पर आंशिक वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांकः 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित होता नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1881 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांकः 18.08.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

....2

जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया गया है :–

1– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी को बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) आदेश दिनांकः 05.03.2023 को रिवोक किया जाता है।

2– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी में संचालन/उत्पादन प्रकिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

3– यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।"

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/ 2020 दिनांकः 21.11.2024 जिसमें उल्लेख किया गया है कि "a show cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA/5860-5578/2019 dated 27.06.2024 but it was received back, bence the show cause notice was e-mailed on the address viven in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence SEIAA opined to keep the EC issued vide letter No. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary,CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08.08.2024.

Hence as per the decision of the SEIAA EC No EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 is kept in abeyance."

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके पक्ष में जनपद–झाँसी तहसील–गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के आराजी संख्या–1419ख (खण्ड–01) में 24.000 हेक्टेयर में 05 वर्षीय स्वीकृत बालू/मोरम का खनन पट्टा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544/जे0वी0एस0–1200/24 दिनांकः 12.11.2024 एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांकः 10.10.2024 तथा पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/2020 दिनांकः21.11.2024 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3– सदस्य/सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
4– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।
5– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।
6– उपजिलाधिकारी, गरौठा।
7– पुलिस क्षेत्राधिकारी, गरौठा।
8– थानाध्यक्ष–ककरबई।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

ANNEXURE-6

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** झांसी
P.S. (थाना): ककरवई **Year (वर्ष):** 2024
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0098
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 06/12/2024 13:09

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/12/2024

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 06/12/2024 Time (समय): 12:59 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Date & Time (दिनांक और समय): 06/12/2024 12:59 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 09 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): भूमि आराजी संख्या 1419ख , ग्राम धमनौड ,तहसील गरौठा थाना ककरवई

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अतुल दूबे

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खनिज विभाग झाँसी ,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	दूबे निवास,कुमारदूबी ,धनबाद,झारखंड़,828203,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7979950700

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विपिन कुमार सक्सेना		पिता का नाम : ओम प्रकाश सक्सेना	1. एमआईजी A/135,आशियाना प्रथम ,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश, भारत
2	अन्य अज्ञात अभियुक्त		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात ,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

वादी द्वारा जिलाधिकारी महोदय झाँसी का आदेश उपलब्ध कराने में देरी करने के कारण

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल मूल प्रार्थना पत्र.................सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना ककरबई जनपद झाँसी विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध मे। महोदय अवगत कराना है कि जनपद झाँसी के तहसील गरौठा के ग्राम धमनौड के अराजी सं0 1419ख में 24 हे0 क्षेत्र पर 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज़ बालू/मोरम का खनन पट्टा श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी HIG-A/135 आशियाना प्रथम तहसील व जिला मुरादाबाद के पक्ष में स्वीकृत है। उक्त क्षेत्र में खनन संक्रियाए बन्द करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.11.2024 को आदेश पारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नही के सम्बन्ध में आज दिनाँक 05/12/2024 समय 10.30PM बजे मेरे एवं श्री विनोद कुमार, खनिज मोहरीर , झाँसी एवं होमगार्ड महेश कुमार (HG483) द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खनन कार्य होता पाया गया। किन्तु पट्टा क्षेत्र में ताजा खनन के साक्ष्य पाये गये, जिसके उपरान्त मौके पर पैमाइश की गयी। पैमाइश मे कुल 5140 घन मीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया , पट्टाधारक द्वारा आदेश दिनाँक 22/11/2024 का उल्लंघन कर खनन किया जाना खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि

पट्टाधारक एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करे। प्रार्थी एसडी अंग्रेजी अपठनीय 05/12/2024 Atul dubey mines inspector, Jhansi mob- 7979950700, एसडी अंग्रेजी अपठनीय 05/12/24 (विनोद कुमार) ख0 मो0 झाँसी। नोट- मै का0मु0200 सुनील प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र की नकल शब्द व शब्द मेरे द्वारा सीसीटीएनएस कैश साफ्टवेयर पर सिवाय तकनीकि त्रुटियो के टाइप किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): AJAY KUMAR YADAV **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 172450098 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District** (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name Vinay Kumar sahu
Rank I (Inspector)
No. 930630373

ANNEXURE 7

कार्यालय जिलाधिकारी,झॉसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः–960 / 30एम0एम0सी0 / 2024–25 दिनांकः 12/12 / 2024

आदेश

जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के गाटा संख्या–1419 ख के खण्ड संख्या–1 में स्थित 24.0 हे0 पर उपखनिज बालू/मोरम के रिक्त क्षेत्र को 05 वर्ष हेतु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथासंशोधित) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु पत्र संख्या–1270 / 30एम0एम0सी0 / विज्ञप्ति–बालू / मोरम / 2019–20 दिनांकः 26.11.2019 के माध्यम से विज्ञापन किया गया, जिसमें श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0आई0जी0–ए / 135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद को सर्वोच्च बोलीदाता घोषित करते हुए पत्र संख्या–1557 / 30एम0एम0सी0 / 2019–20 दिनांकः 28.01.2020 को आशय–पत्र निर्गत किया गया। जिसमें श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा दिनांकः 18.11.2022 को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उनके पक्ष में दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक (05 वर्षीय) की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादन किया गया।

उक्त पट्टे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 440 / 2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 22.05.2024 में उल्लेख किया गया हैः–

"In order to ascertain the extent of illegal mining in violation of the EC conditions by Respondent No. 11, we form a Joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, CPCB, not below the rank of Senior Scientist, and RO, MoEF&CC, Lucknow who will act as 7 a coordinating agency. The Committee will visit the site within a period of two weeks and will collect full information in respect of the extent of mining which has been done by Respondent No. 11 and the compliance/ non-compliance of 'general' and 'specific' conditions of EC by Respondent No. 11 which have been noted above and will submit the report before the Tribunal."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे का निरीक्षण कर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या मा0 हरित अधिकरण न्यायालय के समक्ष दिनांकः 16.08.2024 को प्रस्तुत की गयी, जो मा0 हरित अधिकरण न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट (www.greentribunal.gov.in) पर भी प्रदर्शित है। उक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित किय गया है कि पट्टाधारक (श्री विपिन कुमार सक्सेना) द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित General conditions की शर्त संख्या–19, 20, 30, 41 व 45 एवं Specific conditions की शर्त संख्या–08, 12, 17, 23, 29, 38, 44, 53, 61, 62, 63 व 66 का आंशिक अनुपालन ही किया गया एवं General conditions की शर्त संख्या–07, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47 व 48 एवं Specific conditions की शर्त संख्या–3, 07, 09, 13, 15, 20, 27, 32, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 60, 67, 68, 70, 71 व 75 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके उपरान्त पट्टाधारक को पत्र संख्याः–535 / 30एम0एम0सी0 / 2024–25 दिनांकः 17.08.2024 को नोटिस प्रेषित किया गया कि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र दिनांकः 18.11.2022 में उल्लिखित General conditions की शर्तों एवं Specific conditions की शर्तों का अनुपालन न किये जाने हेतु श्री विपिन कुमार सक्सेना के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन होने के दृष्टिगत अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें की क्यों न उ0प्र0

2...

उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय, किन्तु श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा आज दिनांक तक कोई उत्तर इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त खनन पट्टा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544 / जे0वी0एस0–1200 / 24 दिनांकः 12.11.2024 के साथ संलग्न उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455 / सी–2 / वायु–557 / 24 दिनांकः 10.10.2024 में उल्लेख किया गया है किः–

"माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 22.05.2024 के अनुपालन में दिनांकः 19.06.2024 को गठित समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवेशीय वायुगुणता की अनुश्रवण आख्या के अनुसार पी0एम0 10 प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अधिक होना पाया गया एवं खनन इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाना पाया गया जिसके उपरान्त राज्य बोर्ड के पत्रांक एच–16319 / सी–2 / वायु– 557 / 24 दिनांकः 28.08.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31–ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था, किन्तु खनन पट्टाधारक द्वारा कारण बताओं नोटिस का अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,झॉसी के पत्र दिनांकः 30.09.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 27.09.2024 को किया गया, जिसमें यह पाया गया कि इकाई द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है तथा खनन परियोजना स्थल पर आंशिक वृक्षारोपण पाया गया। जो राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल / वायु दिनांकः 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित होता नहीं पाया गया।

जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया गया हैः–

1– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी को बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (जल / वायु) आदेश दिनांकः 05.03.2023 को रिवोक किया जाता है।

2– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

3– यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।"

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/ parya/ SEJAA/ 5860/ 5578/ 2020 दिनांकः 21.11.2024 जिसमें उल्लेख किया गया है किः–

"a show cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA

3...

(3)

SEIAA/5860-5578/2019 dated 27.06.2024 but it was received back, bence the show cause notice was e-mailed on the address viven in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence SEIAA opined to keep the EC issued vide letter No. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary,CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08.08.2024. Hence as per the decision of the SEIAA EC No EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 is kept in abeyance."

उपरोक्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544/जे0वी0एस0–1200/24 दिनांकः 12.11.2024 एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांकः 10.10.2024 तथा पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/2020 दिनांकः 21.11.2024 का अनुपालन करने हेतु पत्र संख्या–838/30एम0एम0सी0/2023–24 दिनांकः 22.11.2024 के माध्यम से आदेश पारित किया गया किन्तु खनन विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 05.12.2024 को किये गये निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में बिना अनुमति कुल 5,140.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया, जिसके उपरान्त खान निरीक्षक–झाँसी द्वारा थाना–ककरबई में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा अनुमोदित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित General conditions की शर्तों एवं Specific conditions की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया के सम्बन्ध में पट्टा निरस्तीकरण हेतु निर्गत नोटिस दिनांकः 17.08.2024 का प्रत्युत्तर आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544/जे0वी0एस0–1200/24 दिनांकः 12.11.2024 के साथ संलग्न उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांकः 10.10.2024 के अनुसार श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा पत्रांक एच–16319/सी–2/वायु– 557/24 दिनांकः 28.08.2024 द्वारा निर्गत कारण बताओं नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.2024 के अनुसार स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 27.09.2024 में यह पाया गया कि श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांकः 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना नहीं पाया गया एवं पत्र दिनांकः 22.11.2024 के माध्यम से निर्गत आदेश का अनुपालन न करते हुए कुल 5,140.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किये जाने की दशा में थाना–ककरबई में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह विदित है कि श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार–बार किये जाने तथा कई बार विभिन्न विभागो द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिसों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत न किये जाने एवं दिनांकः 22.11.2024 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियायें संचालित किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं:–

1– जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के गाटा संख्या–1419 ख के खण्ड संख्या–1 में स्थित 24.0 हे0 क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक) की अवधि हेतु श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना, निवासी–एच0आई0जी0–ए/135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद के पक्ष में स्वीकृत बालू/मोरम के उक्त नीलामी पट्टा को एतद् द्वारा निरस्त कर तथा प्रश्नगत क्षेत्र को रिक्त घोषित किया जाता है।

4...

(4)

2– प्रश्नगत खनन पट्टा के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–838 / 30एम0एम0सी0 / 2023–24 दिनांकः 22.11.2024 का अनुपालन न कर कुल 5,140.00 घनमीटर उपखनिज बालू / मोरम का खनन कर परिवहन किये जाने के कारण अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में रू0 7,71,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 7,71,000.00 X 5 = 38,55,000.00 की धनराशि व नियम–58 के अन्तर्गत रू0 5,00.000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 51,26,000.00 को अधिरोपित की जाती है।

3– नियमावली के नियम–61(2) में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन पट्टाधारकं श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0आई0जी0–ए / 135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद के नाम को दो वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है।

4– प्रश्नगत खनन पट्टा में प्रतिभूति एवं बकाया के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,झाँसी।
4– अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), झाँसी।
5– उपजिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी, गरौठा।
6– श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0 आई0जी0–ए / 135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

Recd
13/12/24

ANNEXURE 8

Registered

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Shri Vipin Kumar Saxena,
S/o Shri OM Prakash Saxena,
R/o MIG-A/135, Aashiyana Pratham,
Tehsil and District- Moradabad, U.P.

Ref. No......87......./Parya/SEAC/5860-5578/2018 Date: 22 December, 2024

Sub: Cancellation of Environmental Clearance for Proposed Sand/Morrum Mining from Dhasan Riverbed at Gata No. 1419 Kh Khand No.- 01, Village- Dhamnaud, Tehsil- Garautha ,District- Jhansi U.P., (Leased Area – 24.00 Ha).

Dear Sir,

SEIAA discussed the above matter in its 855th meeting in which it was observed- *"that the above matter was discussed in its 851st meeting in which it was decided to keep the EC issued vide letter No EC22B001UP110182 dated 18/11/2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary, CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08/08/2024. SEIAA noted that show-cause notice has been issued to the project proponent vide letter no. 221/parya/SEIAA/5860-5578/2019 dated 27.06.2024. The project proponent has not responded yet hence in the interest of the justice SEIAA shall wait for 07 days further thereafter will proceed for cancellation of Environmental Clearance."*

The project proponent has yet not responded hence SEIAA opined to cancel the EC issued vide letter No EC22B001UP110182 dated 18/11/2022, in light of joint committee report of representative of Member Secretary, CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08/08/2024.

Hence in view of the above the EC issued vide letter No EC22B001UP110182 dated 18/11/2022 is being hereby cancelled and no more stands valid.

This is for your information and necessary action in accordance with provision of EIA notification 2006 (as amended)

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

Copy, through email, for information and necessary action to –

1. Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email – psforest2015@gmail.com)
2. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi-Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)
3. Deputy Director General of Forests (C), Integ rated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – rocz.lko-mef@nic.in)
4. District Magistrate, Jhansi.
5. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.in)
6. Copy for Guard File.

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

संख्या-24/2017/1875/86-2017-57(सामान्य)/2017टीसी-1

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग | लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त 2017

विषयः प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-1498 वर्ष 2015 गुलाब चन्द्र मिश्र बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 9क को विलोपित करते हुए नियमावली के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों के परिहार पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

1. नदी तल स्थित उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत अधिकतम 03 मी0 की गहराई अथवा जल स्तर, जो भी पहले हो, तक खनिज की मात्रा का आकलन करते हुए व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 05 हे0 से कम नही होगा। वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न होने की स्थिति में छोटे रिक्त खण्डों का निर्धारण किया जा सकता है परन्तु ऐसे निर्धारण के पूर्व युक्तियुक्त कारण अभिलिखित किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य है।
2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेगें। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी। इससे भिन्न बिड/ बोली दिये जाने पर बिड/ बोली स्वीकार नही की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/ बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (E-Tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नही किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढा सकते है।
5. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
8. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेगें।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0-15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
10. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाइन-फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रू0-1,180 (रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा **स्वप्रमाणित** निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-
    (1) आवेदक का आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त्त चेक की प्रति,

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

12.एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म /कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है:-

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामलें में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

13.रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उसका मूल्यांकन होने के उपरान्त नियमावली-1963 के नियम-23 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट (नोटिस बोर्ड) पर प्रकाशित किया जायेगा।

(1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1) की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-निलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई निविदा सह ई नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

(2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नेस्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल **www.mstcecommerce.com** पर देखा जा सकता है।

(4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों मे प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी भिन्नता न हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार प्रकाशित की जायेगी:-

क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।

ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-टेण्डर/ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

ग. सर्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिले में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात् ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी। 30 दिन के पश्चात् आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।

(6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0-15000 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानें की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।

(8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

(9) अधिकतम पॉच खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पाॅच क्षेत्र अथवा 400 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

14. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करते हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा:-

(1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)

(2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, (सदस्य)

(3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य सचिव)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर (Class III Signing Cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजीटल सिग्नेचर नही है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

(1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्ते पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है, तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के याग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाइन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नही होती है।

(7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10.00 बजे) से 34वें दिन (सांय 05.00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा(बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक
द्वितीय चरण ई नीलामी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक)

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

ख. एकल निविदा के मामलो को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. **पट्टे का दिया जाना:** नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामलें में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्तर-15(2) मे दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता /निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

18. **लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम् प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीतिः**

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता /निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मंनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0), आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

20. **शर्तें:- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी:-**

(1) ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाति करेगा।

(4) पट्टा धारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

(8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों का व्यवस्थित करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर ली जाये।

संलग्नक-(1) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची।
(2) विज्ञप्ति का प्रारूप।

भवदीय,
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 1875(1)/86-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महाप्रबंधक (बी0ओ0) एम0एस0टी0सी0 लि0 लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरमेनियम स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

ANNEXURE 10

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनन–अनुभाग)

संख्याः 43 /30एम0एम0सी0/विज्ञप्ति–बालू/मोरम/2025–26 दिनाँकः 17/04/2025

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1875/86–2017–57(सा0)/2017टीसी–1 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांकः 14.08.2017 व शासनादेश संख्या–2168/86–2019–57(सा0)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांकः 09.10.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अध्याय–4 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद–झाँसी में नदी तल स्थित बालू/मोरम के निम्नलिखित क्षेत्रों को ई–निविदा सह–ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु एतदद्वारा उपलब्ध घोषित किया जाता है:–

1. **रिक्त क्षेत्रों का विवरण :–**

क0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो कोआर्डिनेटस		नियमावली 2021के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर (रू0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आकलित उपखनिज की वार्षिक मात्रा (घनमीटर)	खनन योग्य आकलित उपखनिज की वार्षिक मात्रा पर देय रॉयल्टी की सकल धनराशि (रूपये में)	अर्नेष्टमनी (कालम 12 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) (रूपये में)
			तहसील	ग्राम	आराजी संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	Latitude	Longitude				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DSR AREA CODE-1523130201						A-25°40'46.78" B-25°40'50.67" C-25°40'59.34" D-25°41'04.85" E-25°41'08.80" F-25°41'11.80" G-25°41'15.60" H-25°41'22.17" I-25°41'25.13" J-25°41'20.80" K-25°41'16.30" L-25°41'07.90" M-25°40'57.30" N-25°40'54.80" O-25°40'48.30" P-25°40'45.63"	A-79°23'03.91" B-79°23'05.38" C-79°23'07.04" D-79°23'04.59" E-79°23'01.50" F-79°22'58.40" G-79°22'52.10" H-79°22'37.78" I-79°22'38.44" J-79°22'54.50" K-79°23'03.60" L-79°23'10.00" M-79°23'11.60" N-79°23'10.90" O-79°23'08.40" P-79°23'07.13"	150.00	2,50,000	3,75,00,000.00	93,75,000.00
	बालू/ मोरम	घसान	गरौठा	घमनौड़	1419ख (खण्ड–1)	24.000						

2– खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। खनन पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3– ई–निविदा सह–ई–नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घनमीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर

...2

रू0 150.00 प्रतिघनमीटर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेष्टमनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घनमीटर) को क्षेत्र में आंकलित उपखनिज (बालू/मोरम) की वार्षिक मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष में देय नीलामी की धनराशि आगणित की जायेगी।

4 ई-निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी करायी जायेगी जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपनी बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।

5- किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेष्टमनी जमा करना अनिवार्य होगा जिसकी गणना क्षेत्र में खनन योग्य आंकलित वार्षिक मात्रा (घनमीटर) एवं नदी तल स्थित बालू/मोरम के लिए विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 150.00 प्रतिघनमीटर से गुणा कर प्राप्त धनराशि की 25 प्रतिशत होगी।

6- एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रकिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

7- इच्छुक आवेदको के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु Class-III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेगें। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैद्यता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8- पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन अधिकतम 02 क्षेत्र या 50 हेक्टयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेगे, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेष्टमनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रकिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करनी होगी। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे विड में भाग नहीं ले सकेगें। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0 15,000-00 (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क, एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से, जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

...3

9. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई-मेल से प्राप्त होगी, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0 2,360-00 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउण्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसकी पंजीकरण की अवधि वैध है उन्हें पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा **स्व प्रमाणित** निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह-ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, तथा बैंक का नाम, खाता संख्या,आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

...4

11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की बेवसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं 'ब्लैक लिस्ट' की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रकिया में भाग नहीं ले सकते है:-

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।

12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. ई-निविदा सह ई-निलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0 15,000-00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेष्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम के सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रकिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के

...5

अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली 1963 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।

17. **ई निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया :–**

(1) ई निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई–निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उप खनिज के लिए प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उप खनिज के लिए नियमावली–2021 की अनुसूची–1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई–निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक–पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगी :–

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घनमीटर दी गयी दर नियमावली–2021 के प्रथम अनूसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो, तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दी गयी दर नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है, तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उप खनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ़ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर–17(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

...6

(5) ई–नीलामी की प्रकिया जो ई–निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकते है। ई–नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी, और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली की प्रकिया बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई–नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया निम्नलिखित काल योजना के अनुसार सम्पादित की जायेगी:–

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	दिनांक: 22/04/2025
प्री–बिड ई.एम.डी. एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई–निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित अनेष्ट मनी (ई.एम.डी.) एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 की बेवसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा की जायेगी।
प्रथम चरण मे ई–निविदा (ई–टेण्डर की अवधि)	दिनांक:19/05/2025 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक: 22/05/2025 के साय 05:00 बजे तक।
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक: 23/05/2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र
द्वितीय चरण की ई–नीलामी की अवधि	दिनांक:23/05/2025 को अपराह्न 12.00 बजे से 02.00 बजे तक कमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र।

(8) **परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :–**

(क) प्रथम चरण की ई–निविदा प्रकिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रकिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. **पट्टे का दिया जाना :–** नियमावली के नियम–28 के प्रावधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर–17(2) में दिये गये प्रकिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन कराने के एक सप्ताह के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

...7

19. **अभिलेखों का सत्यापन :–** ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख–सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख–सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेष्टमनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. **लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :–**

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घनमीटर को ई–निविदा/ई–नीलामी की दर रूपया प्रति घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत **दो कार्य दिवसों** के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची की तालिका–1 के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिंन्दुओं का जिओ–कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा–स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–35(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अनुसार क्षेत्र के भूमि–उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा की जायेगी।

(7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

...8

21. **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :-**

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिए पट्टा धनराशि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा की जाना होगी। प्रि-बिड अर्नेष्ट मनी प्री-बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा की जाना होगी। प्रि-बिड अर्नेष्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेष्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. **शर्ते :-**

(1) ई निविदा सह-ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में **आंकलित उपखनिज की मात्रा** एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र के कोर्डिनेटस अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दशायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

...9

(4) पट्टेदार नियम–35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकाडिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे समबन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकाडिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण यथा विक्रय मूल्य सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रकिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

...10

(10)

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेगी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक:

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
4– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 लखनऊ।
6– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी।
7– क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म,उ0प्र0,क्षेत्रीय कार्यालय,झाँसी।
8– शाखा प्रबन्धक,एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, द्वितीय तल,सेंटर कोर्ट बिल्डिंग,3/सी,5 पार्क रोड, सिविल अस्पताल के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
9– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 झाँसी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को जिले की बेसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11– जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12– प्रभारी अधिकारी नजारत, कलैक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

ANNEXURE 11

Annexure 11

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः-114 /30एम0एम0सी0/2025-26 दिनांकः 15/05/2025

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0)08/2025 विपिन कुमार सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में जवाब दाखिल कराने के सम्बन्ध में।

श्री भूपेन्द्र यादव,
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

उपर्युक्त विषयक सुश्री प्रियंका स्वामी, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0)08/2025 विपिन कुमार सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा खनन पट्टा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में योजित याचिका में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई आज दिनांकः 15.05.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से रिसपोन्स दाखिल करने हेतु एक दिन का समय प्रदान किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0)08/2025 विपिन कुमार सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य के समक्ष रिसपोन्स दाखिल कराये जाने हेतु आपकों नामित किया जाता है। उक्त याचिका में अधोहस्ताक्षरी की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में समय से शपथ पत्र के माध्यम से वांछित रिसपोन्स दाखिल कराकर अवगत राना सुनिश्चित करें।

(संलग्नकः-अनुदेश)

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0-लखनऊ।
2. सुश्री प्रियंका स्वामी, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि प्रश्नगत याचिका में जिलाधिकारी की ओर से मा0 न्यायालय में जवाब दाखिल कराने का कष्ट करें।
3. अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झाँसी।